(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 04/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 252/20

थाना अर्जुनी,

अपराध कमांक 389/20

धारा 306/34 भादसं

कन्हैयालाल उम्र लगभग 36 वर्ष पिता चेतनलाल,

जाति महार, ग्राम परसुली थाना अर्जुनी, तहसील

व जिला धमतरी, छ0ग0.....**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,

आरक्षी केन्द्र अर्जुनी,

जिला धमतरी छ0ग0.....**अनावेदक/अभियोजन**

———————————————————————————

04-11-2020

मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित थाने की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/ अभियुक्त की ओर से श्री मोहन साहू अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री मोहित कुमार देवांगन, लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/ अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के रिश्ते में बड़े पिता उत्तम चोपड़िया ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/ अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 18.09.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसका जमानत आवेदन मजिस्ट्रेट के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मृतिका श्रीमती तारिका का विवाह संस्कार आवेदक/ अभियुक्त कन्हैयालाल के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार आज से लगभग 03 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों पति पत्नी के रूप में पृथक से निवास कर जीवननिर्वाह कर रहे थे। किसी प्रकार की प्रताड़ना से संबंधित कोई अपराध नहीं किये हैं। आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा मृतिका श्रीमती तारिका को किसी प्रकार से कोई प्रताड़ना नहीं किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त अपनी पत्नी मृतिका को अच्छे से रखा था। मृतिका सिकलसेल बीमारी व मिर्गी बीमारी से ग्रसित थी। उसके जेल में निरूद्ध रहने से कोरोना संक्रमण का खतरा है साथ ही उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के

समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान में कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। इस प्रकरण के अन्य सह अभियुक्त रामकुमारी, चेतन व वंदना का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। पुलिस द्वारा विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है। आवेदक/ अभियुक्त की ओर से मान्नीय न्याय दृष्टांत मनोहर विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. 2007–3 एम.पी.एच.टी.349 एम. पी.हाईकोर्ट जिसमें समानता के सिद्धांत के आधार को ध्यान में रखते हुये जमानत दिया जाना प्रतिपादित किया गया है, पर आस्था व्यक्त किया गया है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

डायरी के अनुसार दिनांक, घटना समय को आवेदक/ अभियुक्त, अन्य अभियुक्तगण एवं मृतिका एक ही घर में निवास करते थे। आरोपी कन्हैयालाल महार तथा मृतिका तारिका देवी महार का तीन वर्ष पूर्व प्रेम संबंध के चलते सामाजिक रीतिरिवाज के चलते विवाह हुआ था। शादी के तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत मृतिका को बाल बच्चे नहीं होने पर आरोपीगण के द्वारा बांझ जैसी हीन शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौच करते हुये आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते रहने से प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाने के कारण दिनांक 12.08.2020 को मृतिका तारिका

देवी महार अपने कमरे के छत में लगे पंखे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट पर आवेदक/ अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 306, 34 भादसं पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। यद्यपि अपराध अजमातनीय होकर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा आवेदक/ अभियुक्त मृतिका के पति होकर मुख्य आरोपी है तथापि इस प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण, का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 18.09.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। वर्तमान में कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः डायरी के साथ संकलित साक्ष्य, वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट हो रहा है। अतएव आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि योग्य 25,000–25,000रूपये का दो सक्षम जमानत एवं 50,000रूपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे उक्त प्रकरण में रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–01. संबंधित न्यायालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित। **02.** संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित। **03.** लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0